

पत्रांक : 11/07 (वे०आ०)-01/2016.....

झारखण्ड सरकार  
योजना-सह-वित्त विभाग  
(वित्त प्रभाग)

राँची, दिनांक : .....

संकल्प

विषय : योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) के संकल्प सं. 218/वि. दिनांक 18.01.2017 में संशोधन करने के संबंध में।

सातवाँ वेतन पुनरीक्षण के आलोक में योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) के संकल्प सं. 218/वि. दिनांक 18.01.2017 द्वारा राज्य सरकार के कर्मियों का पेंशन/उपादान/पेंशन रूपान्तरण/पारिवारिक पेंशन तथा अनुग्रह अनुदान के संबंध में पुनरीक्षण दिनांक 01.01.2016 के अभाव से स्वीकृत किया गया है।

2. वित्त प्रभाग के उक्त संकल्प की कंडिका-11.1 में निम्न निर्णय लिया गया है :-

"The amount of Ex- gratia lump sum compensation available to the families of Central Government Civilian employees, who die in the performance of their bonafide official duties under various circumstances shall be revised as under"

3. संकल्प की कंडिका 11.1 में "Central Government Civilian Employees" अंकित रहने के कारण राज्य सरकार के Civilian एवं पुलिस कर्मियों को पुनरीक्षण का लाभ देय नहीं हो रहा है, जिसके कारण संकल्प में अंकित "Central Government Civilian Employees" को संशोधित कर "State Government employees" किया जाना आवश्यक था।

4. अतः राज्य सरकार ने सम्यक् विचारोपरान्त योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) के संकल्प सं. 218/वि. दिनांक 18.01.2017 की कंडिका 11.1 में अंकित "Central Government Civilian Employees" को संशोधित कर "State Government Employees" करने का निर्णय लिया है।

5. योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) के संकल्प सं. 218/वि. दिनांक 18.01.2017 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

6. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 69/वि० दिनांक 10.01.2018 के क्रम में दिनांक 24.01.2018 की बैठक के मद सं० 10 में दी गई है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखंड, राँची/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(सुखदेव सिंह)  
अपर मुख्य सचिव।

वि.सं.  
19/07/18

21/01/18  
16/02/18

2885-44  
14/2/18


462  
15-02-18

16/2/18

ज्ञापांक : 11/07 (वे.आ.)-01/2016.....

राँची, दिनांक .....


प्रतिलिपि : सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को e-गजट के रूप में राजपत्र असाधारण अंक में प्रकाशन करने हेतु प्रेषित।

  
11/2  
(सुखदेव सिंह)

ज्ञापांक : 11/07 (वे.आ.)-01/2016.....

राँची, दिनांक .....


प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले. एवं हक.), झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
11/2  
(सुखदेव सिंह)

ज्ञापांक : 11/07 (वे.आ.)-01/2016..... 335 (वि.)

राँची, दिनांक 13.2.18

प्रतिलिपि : माननीया राज्यपाल के सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/राज्य सरकार के सभी विभागों/सभी विभागाध्यक्षों/निबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय/सचिव, झारखंड विधान सभा/सभी उपायुक्त/कोषागार पदाधिकारी, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची/नेपाल हाउस, राँची/पी०एम०यू० कोषांग के सहायक प्रोग्रामर, को विभागीय Website पर upload करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
11/2/18  
(सुखदेव सिंह)

**झारखण्ड सरकार**  
**जल संसाधन विभाग**


ज्ञापांक :- 05/विविध-14-38/2017-

534

राँची, दिनांक :-

16-02-18

प्रतिलिपि:-सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ संयुक्त सचिव, प्रशासक कार्यालय, सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना, जमशेदपुर/सभी मुख्य अभियंता (लघु सिंचाई सहित), जल संसाधन विभाग/ अपर निदेशक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, जमशेदपुर/निदेशक, भू-गर्भ जल निदेशालय, राँची/ उप समाहर्ता, राजस्व प्रमंडल, राँची/ सभी पुनर्वास पदाधिकारी/ सभी विशेष, भू अर्जन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/ विभागीय सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
16/2/18  
( राजेश बाखला )  
सरकार के अवर सचिव।


ज्ञापांक :- 05/विविध-14-38/2017-

534

राँची, दिनांक :-

16-02-18

प्रतिलिपि:-वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
16/2/18  
( राजेश बाखला )  
सरकार के अवर सचिव।